

Department of Horticulture and Food Processing
Government of Uttar Pradesh
Udhyan Bhawan, 2-Sapru Marg, Lucknow-226001
Telephone - 0522-4044414, 2623277
Email - dirhorti@rediffmail.com
<http://uphorticulture.gov.in>

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976
के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र:-
प्रदेश में निजी क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त पौधों के हेतु उत्तर प्रदेश फल पौधशाला(विनियमन)
अधिनियम 1976 प्रख्यापित की गयी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पौधशाला स्थापना हेतु
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

निजी पौधशाला स्वामी के द्वारा पौधशाला की स्थापना करने के तीन माह के भीतर पंजीकरण
हेतु आवेदन करना होगा। जिसके लिए निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० द्वारा
निजी क्षेत्र में पौधशाला के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार नागरिक अधिकार दिये गये हैं:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	शेराये	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की निश्चित समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
01-	पौधशालाओं के पंजीकरण का कार्य	अ-उ०प्र० फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम-1976 के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण का कार्य। शा०सं०-3863/58-2007-17 5/75 दि०-29-02-2008 के अनुपालन में।	निदेशक उद्यान/ लाईसेंसिंग अधिकारी(फल पौधशाला) उ०प्र०	45 कार्य दिवस	राजिव/प्रमुख राजिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० शासन।		
	ब-पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण का कार्य। शा०सं०-3863/58-2007-17 5/75 दि०-29-02-2008 के अनुपालन में।		जनपदीय उद्यान अधिकारी उ०प्र०।	25 कार्य दिवस	उप निदेशक उद्यान, उ०प्र०	25 कार्य दिवस	निदेशक उद्यान/ लाईसेंसिंग अधिकारी(फल पौधशाला) उ०प्र०

उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 1976 उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या 6275/12(4)-175-75 लखनऊ, 13 अक्टूबर, 1976 प्रख्यापित की गयी है जिसका र्वच्य टंकित लेख प्रस्तुत है:-